भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1394
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन से प्रभावित किसानों को राहत

1394. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली बाढ़ और अकाल से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित होते हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल/जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुमानों के अनुसार, भारत सहित दक्षिण एशिया पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, बाढ़ और सूखे की अधिक निरंतरता और तीव्रता बढ़ रही है। इसका खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से, सूखा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चंदौली जिले में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों/किसानों को राहत सहायता, कृषि निवेश अनुदान और अन्य अनुमेय बाढ़ राहत कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा राहत कोष में 8.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए खरीफ 2016 सीजन से "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) और मौसम आधारित "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना" (डब्ल्यूबीसीआईएस) भी कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत कटाई-पूर्व से लेकर फसलोपरान्त हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, केवल उन्हीं किसानों के दावों का भुगतान किया जाता है जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने हिस्से के प्रीमियम का भुगतान किया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश राज्य के 2,11,28,511 किसानों को 1878.34 करोड़ रुपये के दावों का वितरण किया गया है, जिसमें चंदौली जिले के 38,184 किसानों को 2.72 करोड़ रुपये की धनराशि के दावे शामिल हैं।
